केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

No. CBSE/CE/PPS /2022/ **दिनांक: 29.11.2022**

प्राचार्य/प्रमुख,
सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूल
(सीबीएसई की वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: परीक्षा टर्म-II के संचालन के भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (आई.पी.एस.) -हेतू।

महोदया/महोदय,

बोर्ड ने टर्म- II परीक्षाओं के संचालन के भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (आई.पी.एस.) शुरू की है। इस प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

i) सिस्टम में सात मॉड्यूल हैं:

   क) परीक्षा केंद्रों के लिए निश्चित पारिश्रमिक
   ख) परीक्षा में शामिल पदाधिकारियों के खाते का विवरण
   ग) परीक्षा पदाधिकारियों का विवरण
   घ) केंद्र लेखा विवरण
   ङ) भुगतान विवरण को फ्रीज (freeze) करने की सुविधा
   च) अंतिम भुगतान रिपोर्ट
   छ) शिकायतें

ii) भुगतान की गणना सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी।
iii) अधिकांश विवरण परीक्षाओं के आयोजन के समय स्कूलों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से लिया जाएगा।
iv) भुगतान व्यक्तिगत खाते में जारी किया जाएगा।

सिस्टम जो टर्म-I के आई.पी.एस. से भिन्न है, के सर्वोत्तम उपयोग के लिए निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:-

1. आई.पी.एस. के उपयोगकर्ता नियमावली को पढ़ें और भरने के लिए आवश्यक फ़ील्ड को नोट करें।
2. उसी के आधार पर, डेटा एकत्र करें और यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच करें कि यह डेटा सही है।
3. कृपया सुनिश्चित करें कि बैंकों के पिछले कुछ समय में हुए विलय के अनुसार सभी IFSC कोड सही हैं।

क्रमशः....2/-

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092
Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in

एक बार संतुष्ट होने के बाद कि डेटा सही है, वही जानकारी आईपीएस में भरी जा सकती है, लागू दरें सिस्टम द्वारा स्वत: भर दी जाएंगी। दरों का विवरण आई.पी.एस. मॉड्यूल में ही उपलब्ध है। एक बार डेटा भरने के बाद, सीबीएसई ऑटोमोटिव मोड में भुगतान जारी करना शुरू कर देगा। टर्म-II परीक्षाओं के लिए भुगतान के बाद सीबीएसई मूल्यांकन के लिए भी भुगतान शुरू करेगा।

वर्तमान आई.पी.एस. सिस्टम में, स्कूलों द्वारा शिकायक का मुद्दा, यदि कोई हो, को उठाने के लिए एक शिकायत मॉड्यूल और उसका आइकन भी दिया गया है। शिकायत भेजने के लिए, स्कूल शिकायत के प्रकार का चयन कर सकते हैं, टिप्पणी भर सकते हैं और उसे जमा कर सकते हैं।

सभी विद्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर यह कार्य पूर्ण कर लें।

भवदीय ,

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक